

कार्यालय :- जिला स्वास्थ्य समिति दुमका।  
इकाई- जिला अंधापन नियंत्रण समिति, दुमका।

अल्पकालीन पुनर्निविदा

दुमका जिला अंधापन नियंत्रण समिति के अंतर्गत स्कूली बच्चों के नेत्र जाँच के पश्चात दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चों के लिए पावर का चश्मा एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए नजदीकी दृष्टि दोष दूर करने हेतु पावर चश्मा, की आपूर्ति हेतु निबंधित एवं प्रतिष्ठित निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं से मोहरबंद अल्पकालिन निविदा दिनांक 03.01.2017... के अपराहन 3.00 बजे तक सिविल सर्जन सह उपाध्यक्ष, जिला अंधापन नियंत्रण समिति दुमका के कार्यालय में निविदा जिला कय समिति के समक्ष खोली जानी थी, पर उक्त तिथि तक कोई भी निविदा दाता द्वारा निविदा नहीं डाला गया। इस हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है। पुनर्निविदा दिनांक 27.01.2017 के अपराहन 3.00 बजे तक सिविल सर्जन सह उपाध्यक्ष, जिला अंधापन नियंत्रण समिति दुमका की अध्यक्षता में गठित जिला कय समिति के समक्ष खोला जायगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा की शर्तें एवं विस्तृत विवरणी सिविल सर्जन दुमका के कार्यालय सूचना पट एवं [www.dumka.nic.in](http://www.dumka.nic.in) पर देखी जा सकती है।

निविदा की विवरणी-

Sl.No	Name of Items	Specification	Remarks
<b>Spectacles</b>			
1	For Children	-	-
2	Presbyopic Glass For Aged/Old People	-	Maximum Up to Rs 100 /Glass


निविदा की शर्तें :-


(A) तकनीकी शर्तें

- निविदा के साथ विक्रि कर विभाग में उपरोक्त सामानों हेतु निबंधन प्रमाण पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 2015-16 की आयकर विवरणी तथा बिक्री कर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- अग्र धन के रूप में निविदा के साथ 2000 (दो हजार रूपया का Bank Draft / Banker's Cheque ) सिविल सर्जन सह उपाध्यक्ष, जिला अंधापन नियंत्रण समिति, दुमका के नाम से हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा दाता को सामग्री का नमूना देना अनिवार्य है। दोनों प्रकार के (दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चों एवं Presbyopic Glass ) चश्मे हेतु Frame का नमूना देना अनिवार्य है।
- निविदा दाता को किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने का Undertaking संलग्न करना होगा।
- सामग्रियों का दर कमप्यूटर द्वारा अंकित करना अनिवार्य है।

(B) अन्य शर्तें

- जिला कय समिति द्वारा अनुमोदित निविदा दाता को निर्धारित तिथि तक सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य है। नियमानुसार निर्धारित तिथि तक आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी।
- किसी तरह का विवाद होने पर न्यायाधिक क्षेत्र दुमका होगा।
- निविदा खूलने की तिथि बढ़ाने की तिथि, अथवा रद्द करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा।
- तकनीकी शर्तों से संबंधित कागजातों को अलग लिफाफों में बंद कर के तथा वित्तीय दर को अलग लिफाफों में रख कर पूरा: दोनो को एक लिफाफा में रख कर सीलबद्ध करके प्रस्तुत करना है।

  
17.01.2017  
Eye Surgeon  
Cum Secretary  
DBCS Dumka

  
17.1.17  
ACMO  
Cum Nodal Officer  
DBCS Dumka

  
17.1.17  
Civil Surgeon  
Cum Deputy Chairman  
DBCS Dumka